2024/252

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री राकेश पुरोहित पुत्र श्री हरीशचन्द्र निवासी खडात तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 55 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.09.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 16.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत खडात के खसरा संख्या 583, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5 एवं 583/6 कृषि भूमि के अन्तर्गत आए हुए है या बिलानाम है। उक्त खसरे वर्तमान में नगर सुधार न्यास से रूपान्तरित हुए है या नहीं। यदि इनका रूपान्तरण नगर सुधार न्यास द्वारा किया गया है तो उक्त नामान्तरकरण किस व्यक्ति के नाम से किया गया है व नामान्तरकरण के पश्चात उक्त खसरों का क्या पट्टा जारी किया गया है और वर्तमान में यदि उक्त खसरे रूपान्तरित हुए है तो रूपान्तरण से पूर्व एवं सेटलमेन्ट के समय किस व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज थे। उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 16.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत खडात के खसरा संख्या 583, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5 एवं 583/6 कृषि भूमि के अन्तर्गत आए हुए है या बिलानाम है। उक्त खसरे वर्तमान में नगर सुधार न्यास से रूपान्तरित हुए है या नहीं। यदि इनका रूपान्तरण नगर सुधार न्यास द्वारा किया गया है तो उक्त नामान्तरकरण किस व्यक्ति के नाम से किया गया है व नामान्तरकरण के पश्चात उक्त खसरों का क्या पट्टा जारी किया गया है और वर्तमान में यदि उक्त खसरे रूपान्तरित हुए है तो रूपान्तरण से पूर्व एवं सेटलमेन्ट के समय किस व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज थे। उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार [illegible] शित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना [illegible] नुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में [illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सार–ए [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:36:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner